भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 114

दिनांक 2 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति

114. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों और सेवाओं की दयनीय स्थिति के संबंध में शिकायतों का समाधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) तथा (ख) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। भारत सरकार योजना और इसके घटकों की निरंतर निगरानी और समीक्षा करती है और सीखों, परिणामों, सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर सरकार विभिन्न स्तरों पर निरंतर बातचीत/वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई करती है।

आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना सुविधा में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की लागत क्रमश 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 17,000/- रुपयए और 12,000/- रुपए से 36,000/- रुपए करना शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में शौचालयों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य को 510.34 लाख रुपए और पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के लिए 6568.09 लाख रुपए सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 11620.56 लाख रुपए जारी किए गए हैं। शौचालयों के निर्माण और पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के लिए जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

मंत्रालय ने पर्याप्त अवसंरचना के बिना किराए पर चल रही आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती प्राथमिक स्कूलों के साथ सह-स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत मनरेगा के साथ अभिसरण में, वित्त वर्ष 2021-22 से आरम्भ कर, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की पांच वर्ष की दर से अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। मनरेगा के साथ तालमेल करके आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए निर्माण लागत को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति इकाई कर दिया गया है। एमजीएनआरईजीएस के साथ तालमेल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों को **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए एमपीलैड्स, एमएलएएलएडीएस, आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न स्कीमों से निधियों का उपयोग जारी रखें।

सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत पोषण प्रदानगी में सुधार तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास के लिए देश भर में प्रतिवर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उन्नयन एवं कायाकल्प किया जाना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पहल के तहत जारी धन का विवरण **अनुलग्नक-ग** में रखा गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों की शर्तों के संबंध में श्री हेमंत तुकाराम गोडसे द्वारा 02.02.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-क

शौचालय सुविधाओं के लिए महाराष्ट्र सहित वर्ष 2022-23 (31.03.2023 तक) के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत जारी धनराशि (लाख रुपये में):

क्र.सं.	राज्य	शौचालय निर्माण के लिए जारी की गयी निधि
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1915.34
2	छत्तीसगढ़	385.78
3	गोवा	9.94
4	गुजरात	297.22

5	झारखंड	1000.94
6	मध्य प्रदेश	1074.38
7	महाराष्ट्र	510.34
8	ओडिशा	1206.43
9	तेलंगाना	1381.25
10	उत्तर प्रदेश	1216.37
11	अरुणाचल प्रदेश	772.53
12	मणिपुर	1612.87
13	नगालैंड	136.51
14	त्रिपुरा	100.66
	कुल	**11620.56**

पेयजल के लिए वर्ष 2022-23 (31.03.2023 तक) के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत जारी धनराशि (लाख रुपये में):

क्र.सं.	**राज्य**	**पेयजल सुविधाओं के लिए जारी की गयी निधि**
1	**2**	**3**
1	आंध्र प्रदेश	1127.52
2	छत्तीसगढ़	904.52
3	गोवा	3.13
4	झारखंड	1349.12
5	मध्य प्रदेश	34.93
6	राजस्थान	1061.07
7	तेलंगाना	87.82
8	उतार प्रदेश	1272.18
9	उत्तराखंड	308.88
10	पश्चिम बंगाल	418.92
	कुल	**6568.09**

आंगनवाड़ी केंद्रों की शर्तों के संबंध में श्री हेमंत तुकाराम गोडसे द्वारा 02.02.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग(क) और(ख) में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-ख

आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत निर्माण के लिए जारी निधियां

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**दो वर्षों के लिए आवंटित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23)**	**जारी निधि (रुपये लाख में) केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में**
1	**2**	**3**	**4**
1	बिहार	3700	4440.00
2	छत्तीसगढ़	3900	4680.00
3	गुजरात	100	120.00
4	झारखंड	1480	1776.00
5	कर्नाटक	800	960.00
6	केरल	140	168.00
7	मध्य प्रदेश	200	240.00
8	ओडिशा	600	720.00
9	राजस्थान	750	900.00
10	तमिलनाडु	1200	1440.00
11	तेलंगाना	1500	1800.00
12	पुदुचेरी	9	10.80
13	हिमाचल प्रदेश	500	900.00
14	उत्तराखंड	3940	7092.00
कुल		**18819**	**25246.80**

अनुलग्नक-ग

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र सहित आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने के लिए जारी निधि का विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कुल अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्र (2022-23)**	**जारी/अनुमोदित कुल धनराशि (रुपये लाख में) (2022-23)**

1	आंध्र प्रदेश	1105	525.58
2	बिहार	3566	1697.77
3	छत्तीसगढ़	4750	1957.92
4	गुजरात	1250	750.00
5	हरियाणा	10	3.56
6	हिमाचल प्रदेश	100	72.86
7	जम्मू एवं कश्मीर	86	69.66
8	झारखंड	6850	3028.88
9	कर्नाटक	100	47.39
10	केरल	250	116.12
11	मध्य प्रदेश	2220	1305.85
12	महाराष्ट्र	1150	520.47
13	ओडिशा	6000	2920.92
14	पंजाब	100	56.88
15	राजस्थान	213	102.93
16	तमिलनाडु	800	395.76
17	तेलंगाना	500	278.16
18	उत्तर प्रदेश	2349	1015.80
19	उत्तराखंड	350	306.04
20	पश्चिम बंगाल	4750	2308.19
21	अरुणाचल प्रदेश	100	71.51
22	असम	3963	3285.58
23	मणिपुर	30	20.25
24	मेघालय	100	68.90
25	मिजोरम	100	64.13
26	नगालैंड	100	72.14
27	सिक्किम	100	64.13
28	त्रिपुरा	200	146.25
	कुल	**41192**	**21273.63**